भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1616
दिनांक 01 अगस्त, 2024

केरोसिन का आवंटन

†1616. श्री मुरसोली एस.:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2023 से तंजावुर जिले को आवंटित और वितरित किए गए केरोसिन का ब्यौरा क्या है और इसकी मात्रा कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने तंजावुर जिले में केरोसिन की कमी को दूर करने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ग) सरकार तिमाही आधार पर राज्यों/सं.शा.प्र. को भोजन पकाने और प्रकाश के प्रयोजनार्थ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अन्तर्गत मिट्टी तेल का आवंटन करती है। राज्यों/सं.शा.प्र. को पीडीएस मिट्टी तेल का आवंटन करते समय घरेलू एलपीजी/पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) कनेक्शनों में वृद्धि, विद्युत कवरेज, सम्बन्धित राज्यों/सं.शा.प्र. द्वारा पीडीएस मिट्टी तेल के कोटा का उठान न किया जाना इत्यादि जैसे घटकों पर विचार किया जाता है। पीडीएस नेटवर्क के अन्तर्गत राज्य/सं.शा.प्र. के अंदर पीडीएस मिट्टी तेल का आगे का वितरण सम्बन्धित राज्य/सं.शा.प्र. द्वारा किया जाता है। वितरण के स्तर और मानदण्ड का निर्णय भी, तद्नुसार, सम्बन्धित राज्य/सं.शा.प्र. द्वारा किया जाता है।

***